

RR No. 2449
30-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 21 (1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012

:- आदेश :-

श्री राकेश कुमार रातावाल, वरिष्ठ लिपिक, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी जी श्रेणी की वरियता संख्या 95 एवं सेवानिवृति दिनांक 29.2.2044 के आधार पर इस विभाग के आदेश दिनांक 08.1.2007 के द्वारा उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/सी/10 गौधीनगर, जयपुर के स्थान पर जी-824 गौधीनगर, जयपुर पूर्व शर्तो के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है।

आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक / (ख-1) विभाग।
4. मुख्यलेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0 अभि0 वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गौधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौको गौधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर आवंटित आवास क कब्जा तत्काल लेकर पूर्व में आवंटित आवास को 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करे।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RR No. 2450
30-1-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता के आधार पर इस विभाग के आदेश सं. प. 18 (1) साप्र /2/11 पार्ट दिनांक 27.12.11के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचम श्रेणी आवास का कब्जा निर्धारित अवधि में कब्जा नही लेने से आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री सुनील कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/74 गौधीनगर	30.9.2042	6/11
2	श्री बृजेन्द्र कुमार सोनी लेब टेकनिशियन राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	5/55 गौधीनगर	30.9.2032	04/99
3	श्री लक्ष्मीनारायण कनिष्ठ लिपिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	5/113 गौधीनगर	30.9.2028	14/06
4	श्री ओम प्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय संस्कृत शिक्षा वभाग, जयपुर	5/145 गौधीनगर	31.5.2021	21/06
5	श्री जोगेन्द्र सिंह चौहान कनिष्ठ लिपिक खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर.	5/सा/15 गौधीनगर	31.8.2040	26/06

OIC (Web)
30-1-2012
Dhans
31/1
Om (m)

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा/संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. उपायुक्त, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ती मामले विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
7. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
7. मुख्यलेखिकाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गौधीनगर,, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री शैलेश कुमार स्वामी कनिष्ठ लिपिक खान (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/सी/15 गॉधीनगर (5/141 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.1.2036	7/11
2	श्री अखलाक उस्ता कनिष्ठ लिपिक राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर	5/133 गॉधीनगर	31.12.2047	39/06
3	श्री सुनील कुमार यादव कनिष्ठ लिपिक सहकारी समितियां, जयपुर	5/112 गॉधीनगर	30.9.2039	46/06
4	श्री विकास दत्ता आर्य कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य नगर नियोजक जयपुर	5/113 गॉधीनगर	30.9.2043	64/06
5.	श्री योगेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ग-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/74 गॉधीनगर	31.1.2044	8/11
6	श्री मुकेश कुमार महावार कनिष्ठ लिपिक इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल,, जयपुर	5/145 गॉधीनगर	28.2.2042	77/06
7.	श्री अनिल कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल,, जयपुर	5/डी/10 गॉधीनगर	31.12.2035	78/06
8.	श्री देवकीनन्दन मीणा कनिष्ठ लिपिक इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल,, जयपुर	5/सी/16 गॉधीनगर	30.9.2042	80/06
9.	श्री चन्द्र शेखर सक्सैना कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/55 गॉधीनगर	31.12.2049	11/11

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह

की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नही किया है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

11. कं सं0 1, 7 व 8 पर अंकित कर्मचारियों के वेतन से कॉमन संविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 75/- (अक्षरै पचहत्तर मात्र) काटी जाकर रोजकोष में जमा करनी होगी।

आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप पंजीयक (प्रशासन), सहकारी समितियां, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. सचिव, इनिदरा गाँधी नहर मण्डल, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. अनुभागाधिकारी, कामिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर,, जयपुर।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
15. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव